

22/12/17

मसूदा (अजमेर)

वक्तुवकी उपायित। प्रथम पत्र वाद पत्र स्थिराण पर
सुना गया। प्रथम पत्र एव पत्रावली का अवलोकन किया
गया। वाद अवलोकन पाया की प्रथम पत्र स्वीकार योग्य
होने के (स्वीकार किया जाना है) तथा वाद पत्र की पुस्त
नक्का पर लेख के आदेश पारित किये जाते हैं। मुख्य
दस्तावेज सुनाए जाने गये हैं इनके शर्त शर्त
पत्रावली है।



उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

